BSES

बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं के लिए आखिरी मौका

जुर्माने का भुगतान करें, नहीं तो कटेगी बिजली

- 14,500 उपभोक्ताओं पर किया गया था 250 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्लीः 18 दिसंबर, 2012। बिजली चोरी मामलों से छुटकारा पाने की इच्छा रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए बीवाईपीएल आखिरी मौका लेकर आई है। वे एक हफ्ते के भीतर बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट ऑफिस में जुर्माने का भुगतान कर दें। नहीं तो, कंपनी को मजबूरन उनका बिजली कनेक्शन काटना पड़ेगा। इसके अलावा, इन उपभोक्ताओं के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।

इन उपभोक्ताओं की बिजली डिसकनेक्ट करने के लिए सभी डिविजनों में स्पेशल टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस से भी बात की जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 14,500 है, जिन्होंने बिजली चोरी के जुर्माने की रकम का भुगतान बीवाईपीएल को नहीं किया है और न ही उन्होंने अपने मामलों का निपटारा लोक अदालतों में करवाया है। बीवाईपीएल ने इन उपभोक्ताओं पर कुल 250 करोड़ रूपये का जुर्माना किया था।

बीवाईपीएल ने इन उपभोक्ताओं की बिजली काटने से पहले उन्हें आखिरी मौका देने का फैसला किया है। पूर्वी दिल्ली के उपभोक्ता बीवाईपीएल के पटपड़गंज/ आई एक्सटेंशन स्थित एन्फोर्समेंट ऑफिस में जुर्माने का भुगतान कर सकते हैं, और मध्य दिल्ली के उपभोक्ता बीवाईपीएल के गांधी मार्केट एन्फोर्समेंट ऑफिस में भुगतान कर सकते हैं। जुर्माने की रकम का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली अगले हफ्ते कटनी शुरू हो जाएगी।

आपको याद होगा, हाल ही में बीवाईपीएल ने एक दो–दिवसीय लोक अदालत का आयोजन किया था, जिसमें करीब 21 हजार लोगों को नोटिस भेजे गए थे। लेकिन करीब 1500 लोग ही लोक अदालत में आए, जबकि अखबारों के माध्यम से उन्हें यह बताया गया था कि लोक अदालत के नोटिस को नजरअंदाज करने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीवाईपीएल के विभिन्न डिविजनों में निम्नलिखित संख्या में नोटिस भेजे गए थे, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता लोक अदालत का लाभ उठा सकें:

	Division	Notices Sent
1	Chandni Chowk	1391
2	Daryaganj	2514
3	Paharganj	2202
4	Patel Nagar	896
5	Shankar Road	511
6	GT Road	1045
7	Karawal Nagar	1944
8	Nand Nagri	1636
9	Yamuna Vihar	3825
10	Karkardooma	723
11	Krishna Nagar	1278
12	Laxmi Nagar	1116
13	Mayur Vihar	1313
14	Vasundhara Enclave	626

बीवाईपीएल ने दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर इसका आयोजन किया था। 8 और 9 दिंसबर को कड़कड़डूमा कोर्ट में 12 जजों ने एकसाथ बिजली चोरी मामलों को निपटाया था।

लोक अदालत के सिलसिले में, बीवाईपीएल के सेंट्रल सर्कल के चांदनी चौक डिविजन में 1391 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए थे जबकि दरियागंज में 2514 को, पहाड़गंज में 2202 को, पटेल नगर में 896 को, और शंकर रोड में 511

उपभोक्ताओं को लोक अदालत संबंधी नोटिस भेजे गए थे। नॉर्थ– ईस्ट सर्कल के जीटी रोड डिविजन में 1045 उपभोक्ताओं को, करावल नगर में 1944 को, नंद नगरी में 1636 उपभोक्ताओं को, और यमुना विहार में 3825 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए थे। वहीं, साउथ– ईस्ट सर्कल के कड़कड़डूमा डिविजन में 723 उपभोक्ताओं को, कृष्णा नगर में 1278 को, लक्ष्मी नगर में 1116 को, मयूर विहार में 1313 को और वसुंधरा एन्क्लेव में 626 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए थे।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

....